भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3542

(जिसका उत्तर सोमवार 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

केन्द्रीय करों में राज्यों की साझेदारी

3542. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का केंद्रीय करों, सामान्य केंद्रीय सहायता तथा शत प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा गठित वित्त आयोग करों की निवल आय के संघ तथा राज्यों के बीच बंटवारे के संबंध में, जिसे उनके बीच बांटा जाता है या बांटा जा सकता है और उस आय की संबंधित हिस्सेदारी का राज्यों के बीच आबंटन के संबंध में सिफारिश करेगा/वर्तमान में केन्द्रीय करों और सामान्य केन्द्रीय सहायता और शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख): उपर्युक्त के दृष्टिगत, प्रश्न नहीं उठता।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

****